न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 65/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 15.10.2019
G.C.M.S. NO.:-2019/00235

आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यु. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री वीरू लाल माली पुत्र श्री देवा माली निवासी 224 माली मौहल्ला उपरेडा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वितीय पता:- पट्टा नम्बर-1454 ग्राम पंचायत उपरेड़ा, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) **(मृत्तक-नामतर्क)**

2-श्रीमति धन्नी बाई पत्नी श्री वीरू लाल माली निवासी 224 माली मौहल्ला, उपरेड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

3-श्री रामेश्वरलाल पिता श्री वीरू लाल माली निवासी 224 माली मौहल्ला, उपरेड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

4-श्री बाबू लाल माली पिता जीतमल माली निवासी 399 भूपालसागर, जाशमा रोड़, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 29.12.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 3,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी संख्या 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 1 की मृत्त्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 के वारिसान विपक्षी संख्या 2 व 3 श्रीमति धन्नी बाई (पत्नी) एवं श्री रामेश्वरलाल (पुत्र) प्रकरण में पहले से ही पक्षकार होने से मृत्तक ऋणी विपक्षी संख्या 1 का नामतर्क करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर मृत्तक विपक्षी संख्या 1 का नामतर्क करने के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह चारण ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 2 व 3 एवं उनके अधिवक्ता भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री वीरू लाल माली पुत्र श्री देवा माली जाति माली निवासी पट्ट्य नम्बर-1454 ग्राम पंचायत उपरेड़ा पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौड़गढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1242 स्क्वायर फीट है। चर्तुसीमाः-

पूर्व	**:- जीतू पिता लेहरू माली का नोहरा**	**पश्चिम**	**:- बारायण माली का मकान**
उत्तर	**:- आम रास्ता**	**दक्षिण**	**:- चोक**

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 24.07.2019 तक राशि रूपये 3,25,097.41/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी वित्तीय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official